प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 868 सन 2020

अनवान :–

1. पृथ्वी पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी सुरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 02/10/21

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक्‍ भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम रामप्रताप पुत्र सन्तलाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम पृथ्वी पुत्र सन्तलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम पृथ्वी पुत्र सन्तलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , अन्य खातो की जमाबन्दी सभी में वादी का नाम पृथ्वी पुत्र सन्तलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र सन्तलाल दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रामप्रताप पुत्र सन्तलाल के स्थान पर पृथ्वी पुत्र सन्तलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष –2021 केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक्‍ भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम रामप्रताप पुत्र सन्तलाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम पृथ्वी पुत्र सन्तलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम पृथ्वी पुत्र सन्तलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , अन्य खातो की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सभी में वादी का नाम पृथ्वी पुत्र सन्तलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र सन्तलाल दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम रामप्रताप पुत्र सन्तलाल दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पृथ्वी पुत्र सन्तलाल के स्थान पर रामप्रताप पुत्र सन्तलाल दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, एवं अन्य खातो की जमाबन्दीया सभी में वादी का नाम पृथ्वी पुत्र सन्तलाल दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत किकराली ने भी वाद के नाम के सम्बध में प्रमाण पत्र /तस्दीक पेश की गई है इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम पृथ्वी होना प्रतित होता है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक/परिवार के सदस्यों के शपथ पत्र के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत किकराली के प्रमाण पत्र तथा परिवार के सदस्यों के शपथ पत्र के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र सन्तलाल अंकित है के स्थान पर पृथ्वी उर्फ रामप्रताप पुत्र सन्तलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/10/21 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. पृथ्वी पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 868 सन 2021 निर्णय दिनांक– 02/10/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 19/19 की कुल 12.2080हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है में वादी का नाम रामप्रताप पुत्र सन्तलाल अंकित है के स्थान पर पृथ्वी उर्फ रामप्रताप पुत्र सन्तलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/10/2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे हस्ताक्षर एवं कैम्प कोर्ट मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के सगं अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ....

Scanned with CamScanner